पं. 4081 / आ-प. / 2020
10-11-2020

ई–मेल / महत्वपूर्ण
संख्या–1335 / आठ–3–2020

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

3. **जिलाधिकारी / नियंत्रक प्राधिकारी,**
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

4. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र
विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊ : दिनॉक : 17 नवम्बर, 2020

विषयः– वक्फ सम्पत्तियों पर व्यवसायिक केन्द्र आदि बनाने हेतु उन्हें विकास प्राधिकरण की अनुमति से मुक्त किये जाने संबंधी प्राविधान को समाप्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्त अनुभाग–2 के पत्र संख्या–1002 / बावन–2–2020 दिनांक 23.10.2020 का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि सम्यक विचारोपरान्त मुस्लिम वक्फ अनुभाग के शासनादेश संख्या–379 / वक्फ–293 / 94 दिनांक 04.02.1994 एवं शासनादेश संख्या–579 / वक्फ–94–338 / 94 दिनांक 14.03.1994 को तात्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि विकास क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के निर्माण / विकास हेतु उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–14 के अन्तर्ग अनुज्ञा प्राप्त किये जाने की अनिवार्यता है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में उपरोक्तानुसार अवगत होते हुए उक्त अधिनियम और प्रभावी भवन निर्माण उपविधि के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1335(1)/ आठ–3–2020–तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(2) निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति समस्त संबंधितों को तामील कराते हुए विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
(3) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार सिंह)
उप सचिव।

Patel Gen.G.O.-2019